

प्रेषक,

अति महत्वपूर्ण/ शीर्ष वरीयता

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
सी0टी0ई0 वाराणसी।
2. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।
3. समस्त प्राचार्य
निजी डी0एल0एड0/अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांक : गोप0/डी0एल0एड0 2023/ ३५८४-४१/2023-24 दिनांक २९ सितम्बर, 2023

विषय : डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखों की जाँच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 हेतु निर्गत शासनादेश सं0 390/अरसठ-4-2023-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 26.05.2023 एवं काउंसलिंग/प्रवेश की कार्यवाही हेतु शासनादेश सं0 828/अरसठ-4-2023-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 24.08.2023 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुपालन में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 13.09.2023 द्वारा काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों की मेरिट/स्टेट रैंक के सापेक्ष एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के क्रम में प्रशिक्षण संस्थान चरणबद्ध आवंटित किया जा रहा है। ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखों की जाँच एवं चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 में ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये शैक्षिक गुणांक के आधार पर उनकी मेरिट एवं स्टेट रैंक के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा उनकी मेरिट एवं भरे गये विकल्प के वरीयता क्रम में ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच और प्रवेश सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है-

क्र0स0	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशन तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	18 सितम्बर 2023 (साय) से 20 सितम्बर 2023 तक	रैंक 01 से 20,000 तक	21 सितम्बर 2023	25 सितम्बर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 सायं 05:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
02	21 सितम्बर 2023 (साय) से 24 सितम्बर 2023 तक	रैंक 20,001 से 80,000 तक एवं (क्रम सं0 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो)	25 सितम्बर 2023	
03	26 सितम्बर 2023 से 29 सितम्बर 2023 तक	रैंक 80,001 से 1,50,000 तक एवं (क्रम सं0 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो)	30 सितम्बर 2023	

04	30 सितम्बर 2023 (सायं) से 05 अक्टूबर 2023 तक	रैंक 1,50,001 से 2,40,000 तक एवं (क्रम सं0 01, 02 एवं 03 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो)	06 अक्टूबर 2023
05	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट- निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा)	17 अक्टूबर 2023	

2. उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही, प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थानों द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 (सायं 05:00 बजे) तक सम्पादित करायी जायेगी।
3. प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध College Login या <https://updeled.gov.in/admin/adminlogin.aspx> पर जाकर Login_id तथा Password की सहायता से अपने संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन वेबसाइट के Alloted and Vacant result ॉप्शन पर भी किया जा सकता है।
4. प्रदेश के समस्त संस्थानों (डायट/निजी संस्थान) को वेबसाइट updeled.gov.in पर प्रथम बार लॉगिन हेतु लॉगिन आईडी IAdInstitute_Code तथा पासवर्ड AdPIInstitute_Code होगा। उदाहरण के लिए यदि संस्थान का कोड 010200 तो उक्त संस्थान के लिए लॉगिन आईडी IAd010200 तथा पासवर्ड AdP010200 होगा।
5. उक्त लॉगिन आइडी तथा पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन करने के पश्चात् संस्थान को नवीन Password बनाना होगा। Password बनाये जाने के उपरान्त बनाये गये नवीन Password की मदद से ही, प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।
6. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश को वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करना अनिवार्य है। अतः ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किया जायेगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे, एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे।
7. स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र/चरण में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में Allotment Fees ₹0 5000/- (₹0 पॉच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की पुष्टि (Confirmation) हेतु आवंटन सह पुष्टि पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में Confirmation Fees ₹0 5000/- (₹0 पॉच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट कर सकेंगे।
8. अभिलेखों की जॉच के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन संस्था आवंटन पत्र (Allotment Letter) के साथ, डी०एल०ए० 2023 के ऑन लाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने पर एवं उनका नाम प्रशिक्षण संस्थान की लॉगिन में प्रदर्शित होने पर उनके अभिलेखों की जॉच सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जॉच हेतु अभ्यर्थी के पास ₹0 5,000 का भुगतान किये जाने के उपरान्त प्रिन्ट किये गये संस्था आवंटन पत्र का होना अनिवार्य है।

9. वर्ष 2023 में स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो डीएल0एड0 प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी वर्षों में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश सं0 390/अरसठ-4-2023 -2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 26. 05.2023 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करते हैं वह डीएल0एड0 प्रशिक्षण 2023 हेतु अर्ह माने जायेंगे।
10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 05.09.2023 के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 05.09.2023 तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य संगत अभिलेखों की जाँच के उपरान्त प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखीय जाँच का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है।
13. अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त यदि उनके Gender पुरुष/महिला एवं अन्य विवरण (प्राप्तांक/पूर्णांक को छोड़कर) में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है तो उनके वास्तविक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।
14. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि उनके मूल अभिलेखों के अनुसार पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट अधिक है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण कम मेरिट अंकित किया गया है एवं अभ्यर्थी कम गुणांक के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु इच्छुक है तो अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।
15. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों में अंकित पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट कम है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण अधिक मेरिट अंकित किया गया है तो अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में, सम्बन्धित अभ्यर्थी के वर्ग/श्रेणी में आवंटित अंतिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत अभ्यर्थी का गुणांक होने पर उन्हें प्रवेश हेतु सम्मिलित किया जा सकता है।
16. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभिलेखों की जाँच के साथ-साथ प्रवेश की कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु अभिलेखों की जाँच की तिथि से प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2023 सायं 05:00 बजे तक का अवसर दिया जायेगा। निजी संस्थानों हेतु शासनादेश सं0 1441/15-11-2014 दिनांक 10.09.2014 के बिन्दु सं0 10 द्वारा प्रतिवर्ष रु0 41000 (इकतालिस हजार मात्र) तथा प्रदेश के डायट हेतु शासनादेश दिनांक 09.06.2022 द्वारा रु0 10,200 (दस हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है।
17. अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से रु0 10,000/- (Allotment Fees रु0 5000 + Confirmation Fees रु0 5000) की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये रु0 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी

जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से रु0 31000 (इकत्तीस हजार रु0 मात्र) एवं प्रदेश के डायट द्वारा रु0 200 (दो सौ रु0 मात्र) अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क जमा कराये जायेंगे।

18. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक किये गये प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी रु0 10,000 का शुल्क जो संस्था आवंटन के पूर्व लिया गया था वह प्रशिक्षण संस्थान को सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अथवा एकांउट खाते में NEFT/RTGS द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
19. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश को वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करना अनिवार्य है। अतः ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किया जायेगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे, एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे।
20. शासनादेश दिनांक 26.05.2023 के प्रस्तर 9 (ii) के कॉलम 01 वाले डायट जनपदों के अभिलेखीय जाँच/प्रवेश/चयन की कार्यवाही कॉलम 02 वाले जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जायेगी।
21. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय अंकित प्रविष्टियों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करने के पश्चात् सही पाने की स्थिति में मूल अभिलेख तथा उनकी दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के सेट एवं निजी संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं राजकीय संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 26.05.2023 द्वारा निर्धारित फीस डिमांड ड्राफ्ट/सी0बी0एस0 द्वारा जमा करायी जायेगी।
22. निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों में से अभिलेखीय जाँच के दौरान अह पाये जाने अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के एक सप्ताह के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों की सूची, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों के आवेदन सम्बन्धित समस्त संगत अभिलेख अपने जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करायी जायेगी।
23. सम्बन्धित प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह निजी संस्थानों में आवंटित एवं निजी संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी, आवेदन, शैक्षिक अभिलेखों (निर्गत करने वाली संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय की मान्यता) इत्यादि की जाँच भली-भौति कर ली जाय। किसी भी अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर तत्काल उसकी सूचना से सम्बन्धित निजी संस्थान को अवगत कराते हुए अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जाय, साथ ही सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी अनर्ह अभ्यर्थी के प्रवेश लिये जाने का सम्पूर्ण उत्तदायित्व प्रशिक्षण संस्थान एवं डायट का होगा।
24. यदि प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो सम्बन्धित कालेज में काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में रिक्त सीटों के प्रति मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्था विकल्प के आधार पर प्रवेश हेतु अन्य अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान वेबसाइट updeled.gov.in को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या इस प्रकार प्रदर्शित करते रहें, जिससे इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को प्रतिदिन होती रहे।

प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्य की जाने वाली संस्थाओं की सूची संलग्न है। उक्त सूची का अवलोकन माठशि०प० की वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जा सकता है।

- आयु – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जायेगा, उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उदाहरण स्वरूप डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।”, देय होगी।
- निवास – ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन लिया जायेगा।
- अभिलेखीय जाँच के समय अभ्यर्थी को ई-आवंटन पत्र के साथ, डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 का ऑन लाइन आवेदन पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके

विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 में अभिलेखों की जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही सभी जनपदों में निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण होना है। प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण विलम्बित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः उक्त के अनुसार चयन की कार्यवाही समयबद्धरूप से पारदर्शिता तथा शुचितापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : शासनादेश।

भवदीय
22.9.2023
सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, प्रयागराज
/2023-24 तद्दिनांक।

पू०सं० / गोप० / डी०एल०एड०-2023 / ३५८४-८९

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ सादर प्रेषित :-

- विशेष सचिव, वैसिक शिक्षा अनुभाग-४, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

22.9.2023
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, प्रयागराज

कार्यालय - जिला शिक्षा उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा

पत्रांक-डायट / डी०एल०एड० / प्रवेश / २१४४

/2023-24

दिनांक : 23.09.2023

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,

निजी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थान/

निजी डी०एल०एड० अल्पसंख्याक प्रशिक्षण संस्थान

जनपद-मथुरा

विषय : डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत आन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, प्रयागराज के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र संख्या गोप० / डी०एल०एड० 2023 / 3584-89 / 2023-24 दिनांक : 22.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच तथा प्रवेश से सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित किए गए हैं।

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित पत्र दिनांक : 22.09.2023 में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2023 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच करते हुए काउन्सलिंग/प्रवेश/प्रशिक्षण से सम्बन्धित अग्रेत्तर सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

23.9.2023
(राजन्द्र बाबू)
उप-शिक्षानिदेशक/प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण-संस्थान
मथुरा